न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 53/2022

जीसीएमएस नं. :– 2022/84

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
लालाराम पुत्र श्री उदा राम जाति जाट निवासी बिनावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।		1. जीयादेवी पत्नि पोकरराम जाति विश्नोई निवासी पाबूनगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 2. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दर्ज तारीख :– 18.04.2022

उपस्थित :

श्री बक्तावर सिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक : 21.06.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम पाबुनगर पटवार हल्का चौढ़ा की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 168/3 रकबा 3.0418 हैक्अयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुई है जो राजस्व रेकार्ड खाता संख्या 69 पर प्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय नक्शा के संलग्न पेश है। प्रार्थी की भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जायेगा। प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ प्रार्थी की पत्नि सुखीदेवी के नाम खातेदारी भूमि आयी हुई है। प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 168/1 रकबा 0.8737 हैक्टयर आयी हुई है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के उत्तरी तरफ माठ कायम की हुई थी लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार वालो ने प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की उत्तरी माठ खुर्द बुर्द करनी शुरू कर दी तथा बीच की माठ को खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के बीच बोलचाल कहासुनी हो गयी इस पर प्रार्थी ने अपनी अपनी जमीन का नाप चौप करवाने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थी नाप चौक करवाने हेतु तैयार नही हुआ इस पर प्रार्थी ने अपनी वादग्रस्त आराजी का सीमाकंन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष आवेदन किया तथा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03/03/2022 को प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी का सीमांकन कर मौके

4

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 मान नहीं रही है। मौके पर खसरा नम्बर 168/1 के दो भाग कर दिये तथा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 168/3 की उत्तरी मात को अप्रार्थी ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया तथा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की उत्तरी व पश्चिमी मात खुर्द बुर्द कर प्रार्थी की खातेदारी जमीन हड़प करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी अपनी ओर से पत्थर शीला उपलब्ध करवाने को तैयार है। खसरा नम्बर 168/3 रकबा 3.0418 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद तरमीमसुदा जमीन है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 168/1 अप्रार्थी जीयादेवी के नाम खातेदारी कब्जासुद तरमीमसुदा जमीन है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के मध्य मात कायम की हुई थी । अप्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की उत्तरी सीमा मात को अप्रार्थी संख्या एक ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया तथा पश्चिम मात खुर्द बुर्द करने लग गयी तथा पश्चिमी सीमा पर कब्जा करने की धमकी दे रही है जिससे मौके पर झगड़ा फसाद होने की सम्भावना है। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी वादग्रस्त आराजी का तरमीम अनुसार नाप चौक करवाकर पत्थरगडडी करवाना चाहता है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी का नाप चौक किया जाकर सीमांकन कर उत्तरी सीमा में पत्थरगडडी करवायी जाने का आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 168/3 रकबा 3.0418 हैक्टयर भूमि का नाप चौक कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगडडी करवायी जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी एक का सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार फोरमल पक्षकार हैं।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम पाबुनगर खसरानम्बर 168/3 रकबा 3.0418 हैक्टयर भूमि का नाप चौप कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमायो जाने का निवेदन किया हैं।

4

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि है। जिसका नाप चौप कर सीमाकंन व पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्णतया अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पाबूनगर के खसरा नम्बर 168/3 रकबा 3.0418 हैक्टयर का नाप चौप कर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर